

कार्यालय जिला कलक्टर, एवम् जिला मजिस्ट्रेट अलवर

क्रमांक:-विकास/2024/27-

दिनांक:-5 जनवरी, 2024

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/निरीक्षण प्रकोष्ठ/22418/शिविरा/पंचाग/2023-24/दिनांक 22.06.2023 के निर्देशानुसार विद्यालयों में दिनांक 25 दिसम्बर, 2023 से 05 जनवरी, 2024 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किये गये है, किन्तु आगामी दिनों में तापमान गिरने से सर्दी का प्रकोप बढ़ने व शीत लहर की अधिक संभावना को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा अलवर द्वारा शीतकालीन अवकाश उपरान्त भी विद्यालयों में अवकाश रखे जाने हेतु निवेदन किया गया है ।

अतःअलवर जिले के समस्त राजकीय/गैर राजकीय /सीबीएसई विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक दिनांक 06.01.2024 से दिनांक 10.01.2024 तक अवकाश घोषित किया जाता है तथा कक्षा 09 से 12 के छात्रों हेतु विद्यालय समय प्रातः 10:30 से पूर्व नहीं रखा जावे। शिक्षको एवं संचालित अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा। इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले राजकीय /गैर राजकीय (CBSE सहित) विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी ।


(अविचल चतुर्वेदी IAS)
जिला कलक्टर
अलवर

दिनांक:-5 जनवरी, 2024

क्रमांक:- विकास/2024/ 28- 52

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

- 1-प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा, राजस्थान,जयपुर ।
- 2-निदेशक,महोदय, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा ,बीकानेर ।
- 3-संयुक्त निदेशक महोदय ,स्कूल शिक्षा,जयपुर संभाग,जयपुर ।
- 4-सहायक आयुक्त,केन्द्रीय विद्यालय संगठन जयपुर ।
- 5-मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ,अलवर ।

6-जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार दिनांक 9.1.2024 को शीतलहर की स्थिति अनुसार प्रकरण पुनः समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जावे।

7-समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारीअलवर जिला ।

8-समस्त संस्था प्रधान एवं व्यवस्थापक जिला अलवर

8-उप निदेशक जिला जन सम्पर्क कार्यालय अलवर ।

9-अतिरिक्त निजी सचिव, जिला कलक्टर, अलवर।

10-रक्षित पत्रावली ।


जिला कलक्टर
अलवर